



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
की लखनऊ एवं मेरठ जोन की  
सम्पत्तियों हेतु

# ई-नीलामी सूचना

/// दिनांक-25.01.2019 | समय-प्रातः 10 बजे से ///

प्रथम चरण में ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित सम्पत्तियाँ

लखनऊ जोन के अन्तर्गत निम्नलिखित शहर/योजनाओं में रिक्त सम्पत्तियाँ

वृन्दावन योजना, अवध विहार योजना एवं आन्नपाली योजना

(व्यावसायिक भूखण्ड, प्रीमियम व्यावसायिक भूखण्ड, गुप हाउसिंग भूखण्ड,  
संस्थागत भूखण्ड तथा हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग सेन्टर भूखण्ड)

मेरठ जोन के अन्तर्गत निम्नलिखित शहर/योजनाओं में रिक्त सम्पत्तियाँ

मंगल पाण्डे नगर योजना-1 (मेरठ), ट्रांसपोर्ट नगर योजना-2 (मेरठ), शास्त्री नगर योजना-3  
तथा 7 (मेरठ), जागृति विहार योजना-6 तथा 11 (विस्तार) (मेरठ), शाकुम्भरी विहार (मवीकला  
योजना-8) (सहारनपुर), वसुन्धरा योजना (गाजियाबाद), सिद्धार्थ विहार योजना (गाजियाबाद)

(कन्वेंशन सेंटर, व्यावसायिक भूखण्ड, प्रीमियम आवासीय भूखण्ड, गुप हाउसिंग भूखण्ड,  
होटल भूखण्ड, कन्वीनियन्ट शॉप भूखण्ड एवं पेट्रोल एवं डीजल पम्प भूखण्ड)

ई नीलामी पोर्टल <http://upavp.mjunction.in>

ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण

दिनांक 12.01.2019 से 22.01.2019 तक

ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेताओं को आरक्षित दर से आगणित  
सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि ऑनलाइन जमा कराकर एवं वांछित  
प्रपत्र दिनांक 23.01.2019 तक जमा करना होगा।

नोट : (1) किसी भी सम्पत्ति के ई-नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा ई-नीलामी की  
नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में  
निहित है। (2) ई-नीलामी के विस्तृत नियम/शर्तें, सम्बन्धित जोनल आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक  
कार्यालय एवं परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर public notice के अन्तर्गत  
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (3) निर्माण सम्बन्धी नियम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,  
उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुरूप होंगे। (4) सील्ड बिड या  
ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (5) किसी भी विवाद की स्थिति में  
आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

सम्पर्क करें

1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803

(तकनीकी जानकारी हेतु) 033-66031798, 033-44091798  
ईमेल : [upavp.helpdesk@mjunction.in](mailto:upavp.helpdesk@mjunction.in)

आवास आयुक्त

सोमवार से शुक्रवार  
पूर्वाह्न 09:30 बजे  
से सायं 06:00 बजे तक

सोमवार से शुक्रवार  
पूर्वाह्न 10 बजे  
से सायं 05:30 बजे तक

IS 15700:2005



सेवीयन प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ Website : [www.upavp.in](http://www.upavp.in), E-mail : [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)

सर्वोच्च न्यायालय IS 15700



सेवीयन प्रमाणित